क्रम सं०	भूमि का नाम जो भारतीय वन ऐक्ट परिच्छेद ४ के अन्तर्गत रक्षित वन घोषित की गई है	जिला	सड़क की लम्बाई मीलों में			सीमा का वर्णन
			मी०	फ०	फी०	
१०	इलाहाबाद–फैजाबाद सड़क, मील ०।० से लेकर मील ९८।६–५१३ फी० तक	इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद	९८	६	५१३	जमीन की हदबन्दी पत्थर या सीमेंट के खम्भों या खाइयों द्वारा उस पर की गई है।
११	बाराबंकी–बहरामघाट सड़क, मील ०।० से लेकर मील २५।०।० तक	बाराबंकी	२५	०	०	"
१२	सीतापुर–जहांगीराबाद सड़क, मील ०।० से लेकर मील २५।०।० तक	सीतापुर	२५	०	०	"
१३	मेरठ–बरेली सड़क (सिवाय रामपुर स्टेट के), मील ३४।०।० से लेकर मील ८६।५–३०० फीट तक और मील १०६।७–६८ फी० से लेकर मील १२९।०।० तक	मुरादाबाद और बरेली	७४	६	२३२	"
१४	बरेली–मथुरा सड़क मील, ०।० से लेकर मील ५०।० तक	बरेली और बदायूं	५०	०	०	"
१५	बरेली–अल्मोड़ा सड़क, मील ०।० से लेकर मील ६३।०।० तक	बरेली और नैनीताल	६३	०	०	"
१६	बरेली–पीलीभीत सड़क, मील ०।० से लेकर मील ३३।०।० तक	बरेली और पीलीभीत	३३	०	०	"
१७	पीलीभीत–टनकपुर सड़क, मील ३३।०।० से लेकर मील ६२।०।० तक	पीलीभीत और नैनीताल	२९	०	०	"
१८–(अ)	जोया–बिजनौर सड़क, मील १९।०।० से लेकर मील ७८।६ तक	मुरादाबाद और बिजनौर	५९	६	०	"
१८–(ब)	बिजनौर–रावली सड़क, मील ०।० से लेकर मील ७।०।० तक	मुरादाबाद और बिजनौर	७	०	०	"

सं० ३२०८(२)/१४––इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० १६, १९२७) की धारा ३० द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रक्षित वनों (protectod f..rests) में जो दिनांक २३ अगस्त, १९५५ की विज्ञप्ति संख्या ३२०८/१४ द्वारा इस रूप में प्रख्यापित किये गये थे, लगे हुये और बढ़ते हुये पेड़ों के निम्नलिखित वर्गों को इस विज्ञप्ति के दिनांक से सुरक्षित (reserved) प्रख्यापित करते हैं:––

वृक्षों के नाम

१––बबूल
२––खैर
३––अरू
४––सफेद सिरिस
५––हल्दू
६––काला सिरिस
७––नीम
८––कदम
९––रियोंज
१०––बाकली
११––महुआ
१२––कचनार
१३––सेमल
१४ ––ढाक
१५––अमलतास
१६––तुन
१७––लसोढ़ा
१८––विलायती शीशम सितसाल
१९––शीशम
२०––यूकेलिप्टस
२१––जामुन
२२––बरगद
२३––गूलर
२४––पाकड़
२५––पीपल
२६––कैथा
२७––गम्हार या खमार
२८––कंजू या पापड़ी
२९––सागौन
३०––बीरंग
३१––आम
३२––चकैन
३३––नीम चमेली
३४––तूत
३५––मौलसरी
३६––सौंजना
३७––अशोक
३८––विलायती बबूल
३९––छौंकर
४०––गोल्ड मोहर, गुल मोहर
४१––कंजी
४२––खजूर
४३––पतजू, पतजी, पुत्रजीव
४४––साल
४५––तार चरबी
४६––बेद, बिल [illegible]
४७––गोरगुवाला
४८––सिहोर
४९––अर्जुन
५०––इमली
५१––बहेड़ा
५२––असना या सैन
५३––गुटेल
५४––सागौन या टीक
५५––रीठा

संशोधन

२२ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३६६४/१४––४५८––'५४––१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम (१९५१ का उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १) की धारा ११७ के द्वितीय प्रतिबन्ध से मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची में प्रदर्शित क्षेत्र को जो ११ अक्तूबर, १९५२ की विज्ञप्ति सं० ६१७/१४ के अधीन गांव-समाज में निहित हुआ था, वापस लेते हैं।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भूमि का क्षेत्रफल
उन्नाव	हसनगंज	झलोटर अजगन	मकदूमपुर	६६ एकड़

संजय कुमार सिन्हा
[illegible]
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (वि०प्र०)
लखनऊ मण्डल कार्यालय
कपूरथला कॉम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ-24

नाज़ फातमा
Naz Fatima
Propriter
Retail Outlet (I.O.C.L.)
Kashipur-Barabanki

संलग्नक-३

अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित स्पेशल लैंड एक्वीजिशन आफिसरों को उक्त ऐक्ट के अधीन कलेक्टर के अधिकारों का प्रत्येक के सामने उल्लिखित जिले में प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हैं जब तक कि वे स्पेशल लैंड एक्वीजिशन आफिसर के पद पर नियुक्त रहें :--

क्रम-सं०	अधिकारी का नाम		जिला
१	श्री अम्बा प्रसाद	...	बनारस।
२	,, त्रिलोक सिंह	...	फैजाबाद।
३	,, फैयाज हुसैन	...	झांसी।
४	,, दीनानाथ शर्मा	...	गोरखपुर।

२४ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ५६२१/१-अ--८०६-५४--लैंड एक्वीजिशन एक्ट, १८९४ (ऐक्ट संख्या १, १८९४) की धारा ३ के खंड (सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय श्री करुणा सागर त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर, बस्ती को उक्त ऐक्ट के अधीन जिला बस्ती में कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हैं।

वन विभाग

छुट्टी

२३ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३९२०/१४--६०(१)-५५--श्री आर० एन० गैरोला, पी० एफ० एस०, डिप्टी कन्सरवेटर आफ फारेस्ट्स को २२ सितम्बर, १९५५ ई० से ३१ दिन की उपार्जित छुट्टी दी जाती है और उन्हें २३ से २६ अक्तूबर, १९५५ ई० रविवार तथा अन्य गजटेड छुट्टियां उस छुट्टी के साथ सम्मिलित करने की आज्ञा दी जाती है।

नियुक्ति

२३ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३९२०(२)/१४--६०(१)--५५--कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से श्री श्रीब्रह्मा, पी० एफ० एस०, असिस्टेंट कन्सरवेटर आफ फारेस्ट्स को श्री आर० एन० गैरोला, पी० एफ० एस० के स्थान पर, जिनको छुट्टी दी गई है, स्थानापन्न डिप्टी कन्सरवेटर आफ फारेस्ट्स, कालागढ़ फारेस्ट डिवीजन नियुक्त किया जाता है।

विविध

२३ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३२०८/१४--उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का यह मत है कि इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० १६, १९२७) की धारा २९ की उपधारा (३) के अधीन अपेक्षित जांच करने और अभिलेख तैयार करने में इतना अधिक समय लगेगा कि उस बीच में राज्य सरकार के अधिकारों के बाधित होने की आशंका है।

अतएव अब वह उपर्युक्त उपधारा के प्रतिबन्धात्मक खंड द्वारा तथा उपर्युक्त ऐक्ट की धारा ८०-ए के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके ऐसी जांच होने और अभिलेख तैयार होने तक उक्त ऐक्ट के चैप्टर ४ के निदेश इससे संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि पर लागू प्रख्यापित करते हैं।

अनुसूची

क्रम-संख्या	भूमि का नाम जो भारतीय वन ऐक्ट परिच्छेद ४ के अन्तर्गत रक्षित वन घोषित की गई है	जिला	सड़क की लम्बाई मीलों में (मी० फ० फी०)	सीमा का वर्णन
१	ग्रैंड ट्रंक रोड, मील ५९२/० से लेकर मील ६६३/० तक	कानपुर	७१ ० ०	जमीन की हदबन्दी पत्थर या सीमेंट के स्तम्भों या खाइयों द्वारा उस स्थान पर की गई है।
२	कानपुर-कालपी सड़क, मील ५२/० से लेकर मील ९६/० तक	,,	४४ ० ०	,,
३	कानपुर,-हमीरपुर सड़क, मील २/० से लेकर मील ३९/० तक	,,	३७ ० ०	,,
४	ओल्डमुगल रोड, मील ११९/० से मील १७३/० तक	,,	५४ ० ०	
५	लखनऊ-कानपुर सड़क, मील /० से लेकर मील ४६/३-६४० फीट तक	लखनऊ और उन्नाव	४६ ३ ६४०	,,
६	लखनऊ--बरेली सड़क मील /० से लेकर मील १५२/० तक	लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली	१५२ ० ०	,,
७	लखनऊ-प्रतापगढ़ सड़क, मील /० से लेकर १०८/० तक	लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़	१०८ ० ०	,,
८	लखनऊ-सुल्तानपुर सड़क, मील /० से लेकर मील ८५/१-२२८ फीट तक.	लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी और सुल्तानपुर	८५ १ २२८	,,
९	लखनऊ-फैजाबाद सड़क, मील /० से लेकर मील ७६/३-३६६ फी० तक	लखनऊ, बाराबंकी और फैजाबाद	७६ ३ ३६६	,,

संजय कुमार सिन्हा
मुख्य मंडलीय खुदरा बिक्री प्रबंधक
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (वि०प्र०)
लखनऊ मण्डल कार्यालय
कपूरथला कॉम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ-24

नाज़फ़ात्मा
Naz Fatima
Propriter
Retail Outlet (I.O.C.L.)
Kashipur-Barabanki